

**स मा ह र ण ल य, कि श न ग ज,**

14/डी०एल०ए० किशनगंज (न्या० प्रा०) 17/12/2013

बिहार सरकार,  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,  
भू-अर्जन प्रशाखा,  
(अधिघोषणा)

पत्रांक- 3105/आ०, पटना, दिनांक- 31-12-13

चूंकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि किशनगंज जिला के अंचल किशनगंज अन्तर्गत मौजा - फरिंगगोड़ा, थाना नं० - 40 में सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात् जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा प्रधान न्यायाधीश (परिवार न्यायालय) एवं अन्य न्यायिक पदाधिकारियों के आवासीय परिसर के लिए सरकार के खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इस लिए अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ मौजा - फरिंगगोड़ा, थाना नं० - 40 के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कमोबेश रकवा 7.00 एकड़ के बराबर होता है, जिसका प्लॉट संख्या निम्नांकित है :-

खता संख्या	खेसरा संख्या	रकवा			खता संख्या	खेसरा संख्या	रकवा			खता संख्या	खेसरा संख्या	रकवा		
		हे.	ए.	पो.			हे.	ए.	पो.			हे.	ए.	पो.
255	1093	0	07	20	59	1092	0	09	05	269	1425 अंश	0	08	20
	1094	0	00	25		1080 अंश	0	04	70		1422	0	14	45
129	1091	0	05	40	59	1088	0	02	45	75	1414	0	07	30
28	1118 अंश	0	05	25		1089	0	03	95		1410 अंश	0	06	30
	1090	0	04	25	1126 अंश	0	17	10	1424	0	03	35		
	1084	0	02	90	1078 अंश	0	03	15	1423	0	07	50		
	1082 अंश	0	02	00	1128 अंश	0	06	30	1418	0	09	00		
	1086	0	02	75	1081 अंश	0	00	10	1417 अंश	0	04	50		
	1087	0	02	95	140	1592	0	02	50	158	1139 अंश	0	00	50
	1122	0	04	20		1085	0	04	95		1140 अंश	0	00	30
	1079	0	04	80	222	1121	0	03	95	216	1129 अंश	0	00	25
	1125	0	03	50		1119 अंश	0	03	75		207	1412	0	01
	1124	0	07	45	01	1123	0	11	25	1407 अंश		0	03	50
1127	0	02	55	196		1416	0	02	60	26	1150	0	00	20
1411	0	14	05		1419	0	12	60	कुल योग :-		2	83	55	
198	1600	0	12	00	157	1421 अंश	0	09	65	एकड़ में :-	7.00 Acre			
	1077 अंश	0	09	35	45	1415	0	08	50					
27	1083	0	02	95	77	1413	0	06	80					
125	1120	0	05	80		1420	0	03	80					

चौहद्दी :- उत्तर :- पक्की सड़क,


दक्षिण :- खेसरा सं.-1407 अंश, 1408,1409,1398 अंश

पूरब :- खेसरा संख्या-1082 अंश, 1080 अंश, 1081 अंश, 1078 अंश, 1077 अंश, 1025 अंश, 1417 अंश, 1432 अंश, 1415 अंश, 1410 अंश।

पश्चिम :- खेसरा सं.-1094 अंश, 1117 अंश, 1118 अंश, 1119 अंश, 1129 अंश, 1126 अंश, 1128 अंश, 1421 अंश, 1139 अंश, 1140 अंश, 1150 अंश।

भूमि या भूमि के किसी खास भाग के नीचे पड़ने वाले कोयला, लोहा स्लेट, अन्य खनिज एवं खानों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खानों एवं खनिजों के केवल वे भाग जिन्हें जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है, उसके निर्माण के लिए खोदना, हटाना या उपयोग में लाना आवश्यक हो तो लिए जायेंगे।

यह अधिघोषणा भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 और अधिनियम, 18, 1885 की धारा 3 (क) खण्ड (1) के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिसका इससे संबंध हो। भूमि का नक्शा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, किशनगंज के कार्यालय में कार्यालय दिवस देखा जा सकता है।

  
समाहर्ता,  
किशनगंज।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

सरकार के सचिव,


ज्ञापांक- 3105/रा०/भू-अर्जन,पटना, दिनांक- 31-12-13

प्रतिलिपि :: निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को अधिघोषणा की तीन प्रतियाँ सहित (दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो) प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, किशनगंज को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :: उप समाहर्ता प्रभारी, जिला गजट, किशनगंज को जिला गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित जिला गजट की दस-दस (10-10) प्रतियाँ इस विभाग एवं जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, किशनगंज को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :: समाहर्ता, किशनगंज / जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :: आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमण्डल, पूर्णियाँ को सूचनार्थ प्रेषित।

  
सरकार के सचिव,  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,  
बिहार, पटना।